

<p>(Language Medium) in level 11 in the pay matrix Rs. 67700-208700/- with ten years' of regular service in the grade and having essential and desirable qualifications as prescribed for deputationists shall also be considered along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, it shall be deemed to have been filled by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.</p> <p>Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.</p>		
--	--	--

[F. No. 39011/06/2015-Estt.(B)]

RAJBIR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2020

सा.का.नि. 69.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और संघ लोक सेवा आयोग (सुरक्षा अधिकारी) भर्ती नियम, 1993 तथा संघ लोक सेवा आयोग (सुरक्षा सहायक) समूह 'ग' भर्ती नियम, 2007 का उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने से लोप किया गया है, संघ लोक सेवा आयोग के सुरक्षा इकाई में सुरक्षा अधिकारी तथा सुरक्षा सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियम करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—** (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग,(सुरक्षा इकाई) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2020 है।
- (ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **लागू होना.**— ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .—** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है।
5. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति –

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह का अनुबंध किया है, उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की ऐसी कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सुरक्षा अधिकारी	01* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (रु. 47600-151100)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	संयुक्त विधि (प्रतिनियुक्ति और पदोन्नति)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
संयुक्त विधि (प्रतिनियुक्ति और प्रोन्नति)। भारत सरकार के सुरक्षा-सह-आसूचना अधिकरणों (जो आसूचना ब्यूरो या अनुसंधान और विश्लेषण विंग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस या केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर -7 (रु. 44900 – 142400 /-) या इसके समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो ; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल -6 (रु. 35400–112400/-) में या इसके समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की हो ; और	लागू नहीं होता	पद भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है

<p>(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों, अर्थात:-</p> <p>(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समतुल्य डिग्री; तथा</p> <p>(ii) सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित जानकारी और आसूचना एकत्रित करने, सुरक्षा व्यवस्था करने में दो वर्ष का अनुभव रखते हों।</p> <p>नोट 1: बाहरी व्यक्तियों के साथ-साथ प्रतिनियुक्ति के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर -6 (रु. 35400-112400 / -) में सुरक्षा सहायक का पद धारण करने वाले और इस ग्रेड में छह साल की नियमित सेवा करने वाले ऐसे विभागीय अधिकारियों पर भी विचार किया जाएगा और यदि उन्हें पद पर नियुक्ति के लिए चुना जाता है, तो उस पद को प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा।</p> <p>नोट 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>नोट 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	
--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. सुरक्षा सहायक	01* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु. 35400-112400/-)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	अधिवर्षिता की आयु से पहले पुनः नियोजित अधिकारियों के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति / आमेलन / पुनः नियोजित (सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए)।

(11)	(12)	(13)
<p>प्रतिनियुक्ति/ आमेलन:-</p> <p>भारत सरकार के सुरक्षा-सह-आसूचना अधिकरणों (जो आसूचना ब्यूरो या अनुसंधान और विश्लेषण विंग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस या केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) के ऐसे अधिकारी :</p> <p>(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर -5 (रु. 29200 – 92300/-) या इसके समतुल्य में</p>	<p>विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:</p> <p>1. अपर सचिव, प्रशासन शाखा के प्रभारी, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष</p> <p>2. संयुक्त सचिव, सामान्य शाखा के प्रभारी, संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य</p> <p>3 संयुक्त सचिव, भर्ती या परीक्षा शाखा के प्रभारी, संघ लोक सेवा आयोग - सदस्य</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।</p>

<p>नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छः वर्ष की सेवा की हो ; या</p> <p>(ख) सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित जानकारी और आसूचना एकत्रित करने, सुरक्षा व्यवस्था करने में दो वर्ष का अनुभव रखते हों।</p> <p>सशस्त्र बल कार्मिक: प्रतिनियुक्ति / पुनः नियोजन जूनियर कमीशन अधिकारी या समकक्ष रैंक के ऐसे सशस्त्र बल कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हों या जिनका आरक्षित करने के लिए स्थानान्तरण होने वाला है और वे प्रतिनियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता तथा अनुभव रखते हों। यदि उनका चयन किया जाता है, तो ऐसे अधिकारियों को सशस्त्र बलों से उनकी निर्मुक्ति की तिथि तक प्रतिनियुक्ति पर रखा जाएगा। इसके बाद उन्हें पुनर्नियोजन की शर्तों पर जारी रखा जा सकता है। यदि ऐसे पात्र अधिकारी पद पर वास्तविक चयन होने से पहले सेवानिवृत्त हो गए हैं या उन्हें आरक्षित करने के लिए स्थानान्तरित कर दिया गया है, तो उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन के आधार पर होगी (सिविल पदों के संदर्भ में अधिवर्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन)।</p> <p>नोट 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित अन्य बाह्य-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>नोट 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--

[फा.सं. 39021/09/2018-स्था.(ख)]

राजबीर सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 17th March, 2020

G.S.R. 69.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Union Public Service Commission (Security Officer) Recruitment Rules, 1993 and the Union Public Service Commission (Security Assistant) Group ‘C’ post Recruitment Rules, 2007 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Security Officer and Security Assistant in the Security Unit of Union Public Service Commission, namely:-

- 1. Short title and commencement.**—(i) These rules may be called the Union Public Service Commission, (Security Unit) Group ‘B’ posts Recruitment Rules, 2020.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Application.**— These rules shall apply to the posts specified in the Column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Number of posts, classification and level in the pay matrix.**— The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the afore-said Schedule.

5. Disqualification.—No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Security Officer.	01* (2020) *(Subject to variation dependent on work load).	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Level-8 (Rs.47600-151100/-).	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Composite method (Deputation plus Promotion)

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Composite method (Deputation plus Promotion). Officers from Security-cum-Intelligence agencies of the Government of India (that is Intelligence Bureau or Research and Analysis Wing or Central Bureau of Investigation or Border Security Force or Central Reserve Police Force or Indo Tibetan Border Police or Central Industrial Security Force): (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre or Department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the level-7 of the pay matrix (Rs. 44900-142400/-) or equivalent in the parent Cadre or Department; or (iii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for filling up the post.

<p>basis in the level-6 of the pay matrix (Rs. 35400-112400/-) or equivalent in the parent Cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:-</p> <p>(i) Bachelor's degree from a recognised University or equivalent; and</p> <p>(ii) two years' experience in organising security arrangements, gathering information and intelligence relating to various aspects of security.</p> <p>Note 1: The Departmental Officer holding the post of Security Assistant in level-6 of the pay matrix (Rs.35400-112400/-) with six years' regular service in the grade and possessing educational qualification and experience prescribed for deputationists shall also be considered along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation including period of deputation to another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisations or departments of the Central Government shall not exceed three years.</p> <p>Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Security Assistant	01* (2020). *(Subject to variation dependent on work load)	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-6 (Rs. 35400-112400/-)	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years for officers re-employed before the age of superannuation	Deputation/ Absorption/re-employment (For Armed Forces Personnel)

(11)	(12)	(13)
<p>Deputation/ Absorption:</p> <p>Central Government Officers working in Security-cum-Intelligence agencies including Intelligence Bureau or Research and Analysis Wing or Central Bureau of Investigation or Border Security Force or Central Reserve Police Force or Indo Tibetan Border Police or Central Industrial Security Force of the Government of India:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre or Department; or</p> <p>(ii) with six years' service in the grade rendered after appointment</p>	<p>Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Additional Secretary in charge of Administration Branch, Union Public Service Commission - Chairman; 2. Joint Secretary in-charge of General Branch, Union Public Service Commission - Member; 3. Joint Secretary in-charge of Recruitment or Exam Branch, Union Public Service Commission - Member. 	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

<p>thereto on a regular basis in the level-5 of pay matrix (Rs. 29200-92300/-) or equivalent in the parent Cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing two years' experience in organising security arrangements, gathering information and intelligence relating to various aspects of security.</p> <p>For Armed Forces Personnel: Deputation/ Re-employment</p> <p>The Armed Forces Personnel of the rank of Junior Commissioned Officer or equivalent, who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and possessing qualifications and experience prescribed for deputationists shall also be considered. If selected, such officers shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces. Thereafter they may be continued on re-employment terms. In case such eligible officers have retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the post is made, their appointment will be on re-employment basis (re-employment up to the age of superannuation with reference to civil posts).</p> <p>Note 1: Period of deputation including period of deputation to another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisations or departments of the Central Government shall not exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation/absorption shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
---	--	--

[F. No. 39021/09/2018-Estt.(B)]

RAJBIR SINGH, Under Secy.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2020

सा.का.नि.70.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी(आयुर्विज्ञान), वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, भर्ती नियम 2014 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है, या करने का लोप किया गया है, वैज्ञानिक तथा